छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा पंचम सत्र अंक-2

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई, 2015

(आषाढ़ 30, शक संवत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. निधन का उल्लेख

मानन्नीय अध्यक्ष ने श्री रतनदास सोनवानी, अविभाजित मध्यप्रदेश शासन के पूर्व संसदीय सचिव के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किए ।

संसदीय कार्य मंत्री-श्री अजय चंद्राकर, नेता प्रतिपक्ष-श्री टी.एस.सिंहदेव, सर्वश्री धनेन्द्र साहू, नवीन मारकण्डेय, सदस्य ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किए।

सदन द्‌वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवार के लिए संवेदना प्रकट की गई।

(दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.10 बजे स्थगित होकर 11.15 बजे पुन: प्रारंभ हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

2. पृच्छा

श्री सत्यनारायण शर्मा एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष के साथ किये गये अभद्र व्यवहार का उल्लेख किया।

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया एवं कथन किया कि आपके द्‌वारा घटना पर सूचना दिये जाने पर विचार किया जायेगा। प्रश्नकाल के पश्चात आपको चर्चा का अवसर दिया जायेगा।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने उल्लेख किया कि आसंदी की जैसी भी व्यवस्था हो, किसी भी प्रक्रिया में सूचना आये शासन चर्चा के लिये तैयार है।

श्री भूपेश बघेल ने भी घटना का उल्लेख करते हुए नान घोटाले पर दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर प्रश्नकाल रोककर चर्चा की मांग की।

3.अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि -सदन किसी व्यक्ति के निर्देश पर नहीं चलता। सदन नियम-प्रक्रियाओं के अनुसार चलता है। आप और मैं क्या चाहते हैं इसके आधार पर सदन को चलाने का दायित्व मुझ पर नहीं है। सदन चलाने या नहीं चलाने का दायित्व आप दोनों पक्षों का है, मेरा काम संचालन करने का है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप मुझे आदेशित करें कि आप ये कराइए। आसंदी को आदेश की भाषा में यदि बात न रखें तो ज्यादा उचित होगा। प्रश्नकाल आपके लिये है, प्रबोधन कार्यक्रम में भी इस बात पर चर्चा हुई थी कि प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस मामले में आपको लगता है कि किसी प्रकार की चर्चा करनी है तो आप उसकी सूचना दे दीजिए उसके आधार पर चर्चा करा लेंगे। प्रश्नकाल के पश्चात आप चर्चा कर लीजिए।

4. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 06 (कुल 06) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 01 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री अमित अजीत जोगी के स्थान पर डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य अधिकृत थीं।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 20 तारांकित एवं 64 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

5. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 06 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांगेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया।

6. पृच्छा

श्री सत्यनारायण शर्मा एवं श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा पुन: नान घोटाले पर दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की।

7. वक्तव्य

श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने दिनांक 20/7/2015 को श्री भूपेश बघेल, सदस्य के निवास पर हुई घटना के संबंध में वक्तव्य दिया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने घटना की निंदा करते हुए आसंदी से आग्रह किया कि ऐसा प्रस्ताव आये कि किसी भी जन-प्रतिनिधि के आवास पर इस प्रकार की घटना न हो।

माननीय अध्यक्ष ने व्यक्त किया कि अगर सदन सहमत हो तो एक संकल्प आसंदी की ओर से लाकर हम सब संकल्प ले सकते हैं जैसा श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने कहा है।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाए गए।)

निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.22 बजे स्थगित की जाकर 12.48 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

8. पृच्छा

श्री सत्यनारायण शर्मा द्वारा नान घोटाले पर दिये गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग किये जाने पर श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने व्यक्त किया कि इस विषय पर आसंदी जो भी व्यवस्था आयेगी, प्रक्रियाओं के तहत सत्ता पक्ष चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार है।

श्री कवासी लखमा एवं श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य ने भी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की।

श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कथन किया कि माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के पुनर्विचार के निवेदन को भी अस्वीकार कर दिया है उसके बाद स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से दोबारा चर्चा नहीं हो सकती। प्रतिपक्ष चाहे तो अन्य माध्यमों से आवेदन दे सकते हैं।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाए गए।)

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने उनके साथ हुए अभद्र व्यवहार का उल्लेख करते हुए शासन के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्रमुख सचिव, विधान सभा को प्रस्तुत की।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने घटना पर अपने विचार व्यक्त किये।

9. पत्रों का पटल पर रखा जाना

1. श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2012) की धारा 13-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7-76/2014/32, दिनांक 4 जून, 2015 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण की शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन नियम, 2015,
2. श्री अजय चंद्राकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 43 की अपेक्षानुसार ने छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2013-2014 (दिनांक 1 जुलाई, 2013 से 30 जून, 2014), तथा
3. श्री दयालदास बघेल, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 95 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 15-2/15-2/2015/3, दिनांक 13 मई, 2015 **पटल पर रखे।**

10. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव की सूचना उनके द्वारा कक्ष में अग्राहय कर दी गई है। इस विषय पर अब कोई चर्चा नहीं होगी।

11. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री मनोज सिंह मंडावी, मोतीलाल देवांगन, संतराम नेताम, सदस्य प्रदेश में उत्कर्ष विद्यार्थी योजना में अध्ययनरत छात्रों से वेदांता पब्लिक स्कूल के संचालक द्वारा घरेलू कार्य करवाये जाने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

12. बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण क्रमांक 1 पर चर्चा के दौरान श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांगेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया।

(1.44 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

13. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(2) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने नेशनल हाइवे अंबिकापुर-बनारस मार्ग पर गांधी नगर क्षेत्र स्थित ग्राम फुन्दुरडिहारी में शराब माफियाओं का आतंक होने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

14. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री मोतीलाल देवांगन
(2) श्री नवीन मारकण्डेय
(3) श्री चुन्नीलाल साहू (खल्लारी)

15. उपाध्यक्ष का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 8 के उप नियम (1) के अधीन उन्होंने उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए गुरूवार दिनांक 23 जुलाई, 2015 का दिन नियत किया है।

उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रावधान यह है कि नियत तिथि के पूर्व दिन के मध्यान्ह से पहले कोई भी सदस्य किसी भी समय इस प्रस्ताव को कि किसी अन्य सदस्य को सभा का उपाध्यक्ष चुना जाए, सचिव को संबोधित लिखित रूप में सूचना (निर्धारित प्रपत्र में) दे सकेगा और उस सूचना का अनुमोदन एक तीसरा सदस्य करेगा तथा उसके साथ उस सदस्य का, जिसका नाम सूचना में प्रस्थापित किया जाए, यह कथन संलग्न होगा कि निर्वाचित होने पर वह उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने को राजी है।

परन्तु कोई सदस्य अपना स्वयं का नाम प्रस्थापित नहीं करेगा, न उसका अपना नाम प्रस्थापित करने वाले प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा और न ही एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्थापित या अनुमोदित करेगा।

कार्यसूची में जिस सदस्य के नाम पर कोई प्रस्ताव हो, वह पुकारे जाने पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगा या प्रस्ताव वापस ले सकेगा और अपना कथन उस बात तक ही सीमित रखेगा।

जो प्रस्ताव प्रस्तुत तथा विधिवत अनुमोदित हो गए हों वे एक-एक करके उसी क्रम में रखे जायेंगे, जिस क्रम में कि वे प्रस्तुत किए गए हों और यदि आवश्यक हुआ तो विभाजन द्वारा विनिश्चित किए जायेंगे। यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो पीठासीन व्यक्ति बाद के प्रस्ताव को रखे बिना घोषित करेगा कि स्वीकृत प्रस्ताव में प्रस्थापित सदस्य सभा का उपाध्यक्ष चुन लिया गया है।

तद्नुसार उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचन के प्रस्ताव की सूचनाएं बुधवार, दिनांक 22 जुलाई, 2015 को दोपहर 3.00 बजे तक प्रमुख सचिव, विधानसभा को दी जा सकती है।

माननीय सदस्य उपाध्यक्ष के निर्वाचन के प्रस्ताव की सूचना देने के प्रपत्र विधानसभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई, 2015 को घोषणा के पश्चात से सायं 05.30 बजे तक तथा बुधवार, दिनांक 22 जुलाई, 2015 को प्रस्ताव की सूचना दिए जाने हेतु निर्धारित समय के पूर्व तक प्राप्त कर सकते हैं।

16. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि

1. निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 3, बैकुंठपुर से निर्वाचित सदस्य श्री भईयालाल राजवाड़े द्वारा जुलाई, 2015 सत्र में दिनांक 20 जुलाई, 2015 से 24 जुलाई, 2015 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है।

2. निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 85, बस्तर से निर्वाचित सदस्य श्री लखेश्वर बघेल द्वारा जुलाई, 2015 सत्र में दिनांक 20 जुलाई, 2015 से 24 जुलाई, 2015 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई।)

17. समितियों का निर्वाचन

(1) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 177 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2015 की शेष अवधि के लिए लोक लेखा समिति में रिक्त हुए दो-स्थान, प्राक्कलन समिति में रिक्त हुए एक-स्थान एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में रिक्त हुए दो-स्थानों की पूर्ति के लिए अपने में से क्रमश: दो, एक एवं दो सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति

श्री अंबेश जांगड़े, संसदीय सचिव, आदिम जाति विकास मंत्री से संबद्ध ने प्रस्ताव किया कि - सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 177 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार वर्ष 2015-2016 की शेष अवधि के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में अनुसूचित जनजाति वर्ग के रिक्त हुए एक-स्थान की पूर्ति के लिए अपने में से अनुसूचित जनजाति वर्ग के एक सदस्य के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में रिक्त हुए क्रमश: दो, एक एवं दो-स्थान एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में रिक्त हुए एक-स्थान की पूर्ति हेतु निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में बुधवार, दिनांक 22 जुलाई, 2015 को अपराह्न 4.00 बजे तक दिये जा सकते हैं।

2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा बुधवार दिनांक 22 जुलाई, 2015 को सायं 5.30 बजे से प्रमुख सचिव, विधान सभा के कक्ष में होगी।
3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना गुरूवार, दिनांक 23 जुलाई, 2015 को अपराह्न 1.30 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है ।
4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई, 2015 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 में होगा ।

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा ।

उपर्युक्त, निर्वाचन में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

डॉ. विमल चोपड़ा, सदस्य ने समितियों के निर्वाचन में निर्दलीय एवं बसपा सदस्यों के प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने उल्लेख किया कि माननीय अध्यक्ष सदस्यों को समितियों में स्थान दे सकते हैं।

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने सहमति व्यक्त की।

18. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में खाद एवं बीज की कमी से उत्पन्न स्थिति

श्री शंकर ध्रुवा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे, मोहन मरकाम, अवधेश सिंह चंदेल, संतराम नेताम, (डॉ.) सनम जांगड़े, बृहस्पत सिंह, दलेश्वर साहू, भोलाराम साहू, लालजीत सिंह राठिया, चिन्तामणी महाराज, श्यामलाल कंवर, पारसनाथ राजवाड़े, डॉ. विमल चोपड़ा,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री दीपक बैज, धनेन्द्र साहू।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से माननीय मंत्री का उत्तर पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सायं 5.35 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 22 जुलाई, 2015 (आषाढ़, 31 शक संवत् 1937) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा